(नियम 26)

न्यायालय : सहायक कलेक्टर चितलवाना

वादी

गोमनाराम पुत्र देवाराम, जाति- रेबारी, नि- नारेश्वर (जानवी) तह- चितलवाना

बनाम

प्रतिवादी

जीवाराम पुत्र आईदान जाति- रेबारी, नि- नारे (जानवी), तह- चितल

किस्म प्रकरण : धारा 212 RT Act रा0का0अधि0 1955

मुकदमा संख्या : 10/18

वर्ष : 2018

2018/0029

तारीख हुक्म	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
15/18	प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 212 RT Act के तहत मामला, प्रा० पत्र प्रस्तुत किया है। कार्यालय टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 22/6/18 को पेश हो।	
6/18	मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र (212) तलब किया। प्रार्थी के वकील ने नोटप्रेस का प्रार्थना पत्र जरिये नोटप्रेस खारीज करने का निवेदन किया। जिसपर सुना गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिये वकील नोटप्रेस के खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा एवं नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 11/6/18	Not Press